न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 80/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/214**
दायर दिनांक :– 24.09.2021 **निर्णय दिनांक :– 23.07.2025**

1. भंवरसिंह पुत्र रणछोड़सिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
2. नरपतसिंह पुत्र रणछोड़सिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
3. भूरसिंह पुत्र रणछोड़सिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
4. लक्ष्मणसिंह पुत्र रणछोड़सिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
5. अर्जुनसिंह पुत्र रणछोड़सिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
6. खमादेवी पुत्री रणछोड़सिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
7. पप्पूदेवी पुत्री रणछोड़सिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
8. दरिया देवी पुत्री रणछोड़सिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
9. भंवरी देवी पत्नी रणछोड़सिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. चैनसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
2. नखतसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
3. किशनसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
4. वीरों पत्नी डूंगरसिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
5. गुमानसिंह पुत्र झूंझारसिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
6. उम्मेदसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
7. मनोहरसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुरोहित नि. बावड़ी कल्ला तह. फलोदी जिला फलोदी
8. उज्जवल भण्डारी पुत्र मनीष भण्डारी जाति जैन नि. एस 7 पीयूष पथ लालकोठी के पास, बापूनगर, जयपुर
9. करूणा भण्डारी पुत्री मनीष भण्डारी जाति जैन नि. एस 7 पीयूष पथ लालकोठी के पास, बापूनगर, जयपुर
10. ललित कुमार नरेड़ी पुत्र दुर्गाप्रसाद नरेड़ी जाति नरेड़ी निवासी 102 प्रथम प्लोर विन्डसोर संसारचन्द्र रोड़ जयपुर

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 श्री विजय तंवर अधि. अप्रार्थी सं. 8 ता 10
3 श्री नारायणसिंह भाटी अधि. अ. सं. 1 ता 4

सहायक कलेक्टर

श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर 16/03/... (फलोदी) 20..

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण को उक्त वाद में सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। पुराना राजस्व ग्राम जैमला वर्तमान राजस्व ग्राम बागजी का पार पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 119 रकबा 18–05 बीघा, खसरा नम्बर 119 रकबा 18–05 बीघा, खसरा नम्बर 116 रकबा 89–11 बीघा, खसरा नम्बर 118 रकबा 13–11 बीघा, खसरा नम्बर 123 रकबा 118–04 बीघा, खसरा नम्बर 125 रकबा 124–08 बीघा, खसरा नम्बर 117 रकबा 6–12 बीघा कुल रकबा 370–11 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त वादग्रस्त खसरान् की भूमि पूर्व में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के पूर्वज झूंझारसिंह पुत्र समेलसिह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। झूंझारसिंह के तीन पुत्र हुवे जिनका उक्त वादग्रस्त भूमि पर झूझारसिंह की मृत्यु के बाद बहिस्सा बराबर–बराबर 1/3–1/3 हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त हो गया। रणछोड़सिंह के वारिसान वादीगण है जिनका उक्त वादगस्त भूमि के 1/3 हिस्सा पर आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा डूंगरसिंह के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 है तथा गुमानसिंह है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की पैतृक भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण संयुक्त रू‌प से 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 5 ने शेष खसरान् की भूमि में अपने 1/3 हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 8 ता 10 को किया, अप्रार्थी संख्या 10 ने उक्त भूमि को आगे कागजी बेचान के रूप में अप्रार्थीगण संख्या 8 व 9 को किया जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नहीं था। वादग्रस्त खसरान् की भूमि में झूझारसिंह के देहान्त के पश्चात रणछोड़सिंह का हक व हिस्सा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत देहान्त के समय ही निहित हो गया एवं रणछोड़सिंह के देहान्त के बाद वादी का वादग्रस्त भूमि में हक व हिससा निहित होने से प्रार्थीगण का यह खातेदारी अधिकारों का पेश कर रहे है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता एवं 4 के पति एवं अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा अपने 1/3 हिस्सा अधिकार किया गया बेचान प्रार्थीगणों के अधिकारों के विरूद्व शूनय एवं प्रभावहीन घोषित किया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के बंट व हिस्सा में किसी प्रकार की दखल अंदजी न तो स्वंय करे और न ही किसी अन्य से करावे और नही प्रार्थीगण को उसके 1/3 हिस्सा से जोर जबरदस्ती बेदखल ही करे जिसका यह अस्थायी निषेधाझा का प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 की और से कोई उपस्थित

23/7/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 8 ता 10 के द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत 2073–207 ग्राम बागजी का पार के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार झूंझारसिंह पुत्र समेलसिंह का वारिसान होने के कथन किये है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके की वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 जैरकार है। वादी के वाद में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का पैतृक हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के उपभोग व उपयोग आदि सुविधा से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थी संख्या 1 को अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सत्यमेव जयते
बाप, जिला फलोदी (राज.)

23/7/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)